**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2116**

**दिनांक 14.03.2018/23 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**बच्‍चों की तस्करी और उनके लापता होने की घटनाएं**

**2116. श्री संजय सिंहः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2016 में देश में लगभग 55,248 बच्‍चे लापता हुए और लगभग 2002 बच्‍चों का अब तक कोई पता नहीं चला है; और**

**(ख) यदि हां, तो देश में बच्‍चों की तस्करी और उनके लापता होने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2016 में, अन्य बातों के साथ-साथ, लापता बच्चों और बरामद न किए जा सके/पता न लगाए जा सके बच्चों की संख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लापता और असुरक्षित बच्चों के संबंध में एक राष्ट्रीय ट्रैकिंग प्रणाली अर्थात् ट्रैक चाइल्ड पोर्टल ([www.trackthemissingchild.gov.in](http://www.trackthemissingchild.gov.in)) विकसित किया है और इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 02.06.2015 को खोया-पाया पोर्टल भी शुरू किया है जो एक सक्षम प्लेटफॉर्म है जहां सभी नागरिक अधिक समय गंवाए बिना लापता बच्चों एवं उनके ठिकानों से संबंधित स्थानों की सूचना दे सकते है और यहां पाए गए बच्चों की भी सूचना दी जा सकती है। खोया-पाया को ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में सिटिजन कॉर्नर के अंतर्गत एक मॉड्यूल से जोड़ा गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 के माध्यम से लापता बच्चों अथवा जरूरतमंद बच्चों को आउटरीच सेवाएं भी प्रदान करता है, जो पूरे वर्ष चौबीसो घंटे प्रतिदिन आधार पर (24/7) कार्य करता है।

-2-

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 2116

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है और इसे पुलिस, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) आदि जैसे सभी स्टेकहोल्डरों तक आगे पहुंचाने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। इस एसओपी में पूरे देश में लापता बच्चे की तलाश और पुनर्वास को गति प्रदान करने के लिए एकीकृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी जिम्मेवारी प्राथमिक रूप से संबधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें विधि के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय समय-समय पर लापता बच्चों और मानव दुर्व्यापार के संबंध में विभिन्न परामर्शी-पत्रों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन प्रदान करके उनके प्रयासों को सम्पूरित करती रहती है। ये परामर्शी-पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट <http://mha.gov.in>. पर उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को मानव दुर्व्यापार के मामलों से निपटने के संबंध में मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

\*\*\*\*\*

-3-

|  |
| --- |
| अनुलग्नकराज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 2116वर्ष 2016 के दौरान लापता बच्चों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले, वर्ष के दौरान बरामद नहीं किए जा सके/पता नहीं लगाए जा सके लापता बच्चे, बरामद किए गए/पता लगाए गए कुल लापता बच्चे |
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | दर्ज मामले | पूर्ववर्ती वर्षों से बरामद नहीं किए जा सके/पता नहीं लगाए जा सके लापता बच्चे | वर्ष के दौरान लापता बच्चे | कुल लापता बच्चे | कुल बरामद किए गए/पता लगाए गए बच्चे  | बरामद नहीं किए जा सके/पता नहीं लगाए जा सके कुल लापता बच्चे |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1972 | 1169 | 2155 | 3324 | 1912 | 1412 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 35 | 23 | 38 | 61 | 33 | 28 |
| 3 | असम | 1381 | 1032 | 1381 | 2413 | 1069 | 1344 |
| 4 | बिहार | 4817 | 1079 | 4817 | 5896 | 3026 | 2870 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 2236 | 865 | 2262 | 3127 | 2051 | 1076 |
| 6 | गोवा | 25 | 31 | 26 | 57 | 25 | 32 |
| 7 | गुजरात | 1303 | 692 | 1315 | 2007 | 1247 | 760 |
| 8 | हरियाणा | 1620 | 1807 | 1768 | 3575 | 1695 | 1880 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 170 | 110 | 170 | 280 | 174 | 106 |
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर | 303 | 766 | 304 | 1070 | 354 | 716 |
| 11 | झारखंड | 433 | 529 | 479 | 1008 | 329 | 679 |
| 12 | कर्नाटक | 1289 | 2281 | 1943 | 4224 | 2733 | 1491 |
| 13 | केरल | 1382 | 211 | 1524 | 1735 | 1520 | 215 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 7838 | 3565 | 8503 | 12068 | 8197 | 3871 |
| 15 | महाराष्ट्र | 3976 | 5594 | 4388 | 9982 | 4357 | 5625 |
| 16 | मणिपुर | 126 | 40 | 146 | 186 | 172 | 14 |
| 17 | मेघालय | 124 | 60 | 124 | 184 | 155 | 29 |
| 18 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | नागालैंड | 67 | 6 | 71 | 77 | 63 | 14 |
| 20 | ओडिशा | 1901 | 3890 | 1901 | 5791 | 589 | 5202 |
| 21 | पंजाब | 584 | 693 | 597 | 1290 | 510 | 780 |
| 22 | राजस्थान | 1831 | 2223 | 1980 | 4203 | 3216 | 987 |
| 23 | सिक्किम | 106 | 41 | 109 | 150 | 110 | 40 |
| 24 | तमिलनाडु | 3549 | 1169 | 4632 | 5801 | 4660 | 1141 |
| 25 | तेलंगाना | 3323 | 1021 | 3679 | 4700 | 3597 | 1103 |
| 26 | त्रिपुरा | 160 | 28 | 169 | 197 | 171 | 26 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 2862 | 2266 | 2903 | 5169 | 1861 | 3308 |
| 28 | उत्तराखंड | 435 | 424 | 435 | 859 | 589 | 270 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 5507 | 8546 | 8335 | 16881 | 5388 | 11493 |
| **कुल राज्य** | **49355** | **40161** | **56154** | **96315** | **49803** | **46512** |
| 30 | अं.एवं नि. द्वीपसमूह | 47 | 6 | 47 | 53 | 48 | 5 |
| 31 | चंडीगढ़ | 195 | 234 | 201 | 435 | 152 | 283 |
| 32 | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 33 | दमन एवं दीव | 21 | 10 | 29 | 39 | 27 | 12 |
| 34 | दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र | 6657 | 7740 | 6921 | 14661 | 5863 | 8798 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुचेरी | 53 | 5 | 53 | 58 | 49 | 9 |
| **कुल संघ राज्य क्षेत्र**  | **6974** | **8001** | **7253** | **15254** | **6141** | **9113** |
| **कुल (अखिल भारत)** | **56329** | **48162** | **63407** | **111569** | **55944** | **55625** |
| स्रोतः भारत में अपराध |  |  |  |  |  |  |

----------